

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजगहल पैलेस रेसिडेन्शियल एरिया, रिथिल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)  
 (टैलीफ़ैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1906

दिनांक: 22/2/24

-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	संजय कुमार जैन	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	कोटा उत्तर	सूरतगढ
2.	हेमन्त माहेश्वरी	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	निम्वाहेडा	उदयपुर
3.	करण सिंह	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	जयपुर हैरिटेज (स्थानान्तरीनधीन)	हनुमानगढ
4.	रेखा	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	विद्याविहार	राजगढ
5.	जितेन्द्र महावर	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	जयपुर हैरिटेज	डूंगरपुर
6.	अनिल कुमार छीपा	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	गंगापुर	सलूम्वर
7.	भागचन्द बैरवा	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	केकडी	रींगस
8.	राकेश गुर्जर	कनिष्ठ लेखाकार	ब्यावर	जैतारण

उपर्युक्त कार्मिकों को आगामी वेतन नवपदस्थापित निकाय से देय होगा।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविंदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
06. कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे एवं सफाई कर्मचारी से मूल पद का ही कार्य करवाया जावे।
07. माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे।

(सुरेश कुमार आला)  
 निदेशक एवं संयुक्त सचिव  
 दिनांक: 22/2/24

क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई-I/डीएलबी/2024/1907-1922  
 प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आई. टी. अनुभाग, निदेशालय को लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड की कार्यवाही करें।
7. संबन्धित कर्मचारी श्री/श्रीमती .....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(चांद मल वर्मा)  
 अतिरिक्त निदेशक